

9/11/20

वकाज नं०
पत्रावली दिनांक 6/11/20 या पत्रा

वर्क कारेश/वहक डेडपेरा

6/11/20

पत्रावली पेश हुशै इकाम पत्रा उप०।
मूलवाद से 21/21 निस्वारित
किया जा चुका है अतः अचानक
निषेधाज्ञा जारी रखने का कोई
कारण शेष नहीं रह पाया है
अर्थात् निषेधाज्ञा खारिज किया
जाकर पूर्व से काम ही चल
दाखिल हुआ है। कारेश खुल
न्यायमालय में सुनाया गया।

सपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned with